दिनांक 06.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 464/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहाबाद</u>

- **चोरी/छिनैती की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/छिनैती के 18 हजार रूपये नगद**
- **चोरी/छिनैती के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2026 को थाना फतेहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हुसैनपुरा जाने वाले तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–वीकेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सोनू उर्फ लुक्का उर्फ सनी सहित गिरफ्तार कर चोरी/छिनैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/छिनैती के 18 हजार रूपये नगद, चोरी/छिनैती के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.07.2026 को थाना फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी/छिनैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी/छिनैती की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वीकेश के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा एवं जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास,

चोरी/छिनैती, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त सोनू उर्फ लुक्का उर्फ सनी के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी/छिनैती, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीकेश निवासी ग्राम फकीर की मढैया थाना बलरई जनपद इटावा।

2–सोनू उर्फ लुक्का उर्फ सनी निवासी ग्राम बमरई थाना निबोहरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी/छिनैती के 18 हजार रूपये नगद।

2–चोरी/छिनैती के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बरेल/थाना शाही

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 102.15 ग्राम अवैध स्मैक**
- **82 हजार 500 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2026 को थाना शाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गणेशपुर–रास रोड पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–किशन 2–फारून 3–तेजपाल 4–छविराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 102.15 ग्राम अवैध स्मैक, 82 हजार 500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किशन निवासी ग्राम जौनेर थाना मीरगंज जनपद बरेली।

2–फारून निवासी ग्राम जौनेर थाना मीरगंज जनपद बरेली।

3–तेजपाल निवासी ग्राम जौनेर थाना मीरगंज जनपद बरेली।

4–छविराम निवासी मो0 दुर्गा नगर थाना सदर अम्बाला हरियाणा, हालपता ग्राम जगदीशपुर थाना शीशगढ जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 102.15 ग्राम अवैध स्मैक।

2–82 हजार 500 रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद गाजीपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 40 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद गाजीपुर पुलिस ने गैंगलीडर/अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा "ऊँ श्री बक्सू बाबा एकेडमी" चलाकर फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 40 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

––––––